UPEW010012382026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा ।

उपस्थित–आलोक कुमार श्रीवास्तव, ...एच.जे.एस.

दण्ड प्रकीर्ण वाद संख्या–91/2026

CNR NO–UPEW010012382026

बेला रानी उर्फ समीर (किन्नर) बनाम नन्दनी उर्फ गोलू आदि।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना–वैदपुरा,जिला–इटावा।

दिनांक–13.03.2026

1. पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुयी।

2. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) बी०एन०एस०एस०पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

3. आवेदिका की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी०एन० एस०एस०विपक्षीगण नन्दनी उर्फ गोलू,मोहित दिवाकर,पूजा उर्फ जयहिन्द व सोहेल के विरूद्ध योजित किया गया है और याचना की गयी है कि मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु आदेश पारित किया जाये।

4. संक्षेप में आवेदिका बेला रानी उर्फ समीर (किन्नर)का यह कथन है कि दिनांक 13.01.2026 को समय करीब शाम 08:00 बजे वह अपनी ईको गाड़ी से सैफई से इटावा जा रही थी तभी अधियापुरा ग्राम के पास दो गाडियां आयी और उसकी गाड़ी के आगे लगाकर उसकी गाड़ी को रोक लिया और विपक्षीगण सोहेल,पूजा उर्फ जयहिन्द,मोहित दिवाकर तथा नन्दनी उर्फ गोलू ने मिलकर उसके ड्राइवर अमर,उसके चेले मुस्कान को पकड़ कर खींच लिया और एक तरफ खड़ा कर दिया और उसे मां बहिन की भद्दी भद्दी गालियां देने

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.03.19 15:03:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लगे जब उसने गालियां देने से मना किया तो सभी ने मिलकर उसकी लात,घूसों व थप्पड़ों से मारपीट की तथा विपक्षी मोहित दिवाकर ने जान से मारने की नियत से अपने हाथ में लिये हुये ब्लेड से हमला कर दिया जिससे वह लहुलुहान हो गयी,इसी दौरान विपक्षी नन्दनी उर्फ गोलू ने चाकू दिखाकर उसके हाथ से उसका पर्स छीन लिया जिसमें उसके 15,000/–रूपये व एक सोने की चैन,सोने के एक जोड़ी कान के झुमके व चांदी की पायल रखी थी। उक्त घटना में आवेदिका के शरीर व गर्दन में गंभीर चोटें आयी उसके चिल्लाने पर विपक्षीगण आवेदिका को जान से मारने की धमकी देते हुये वहाँ से भाग गये। यह भी कहा गया है कि आवेदिका ने घटना की सूचना थाना वैदपुरा में दी जिस पर थाना पुलिस द्वारा उसको जिला अस्पताल इटावा ले जाकर मेडिकल कराया जिसकी रिपोर्ट पुलिस अपने साथ ले गयी,किन्तु आवेदिका की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की उसने थाना पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने के लिये लिखित प्रार्थनापत्र देने के साथ साथ कई बार निवेदन भी किया किन्तु थाना पुलिस ने आवेदिका की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी उसके बाद उसने दिनांक 16.02.2026 को पंजीकृत डाक से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को प्रार्थनापत्र दिया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी,तब आवेदिका ने न्यायालय में यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।

5. आवेदिका की ओर से अपने कथनों के समर्थन प्रपत्र दाखिल किये गये है।

6. आवेदिका के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी०एन० एस०एस०के आलोक में थाना वैदपुरा जिला इटावा से आख्या तलब की गयी। थाना वैदपुरा जिला इटावा की आख्यानुसार प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में थाने में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

7. प्रकरण में आवेदिका की ओर से दिनांक 06.03.2026 को इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उसका मेडिकल दिनांक 13.01.2026 को पुलिस द्वारा जिला अस्पताल इटावा में हुआ है। आवेदिका द्वारा मेडिकल रिपोर्ट जिला अस्पताल इटावा से तलब किये जाने की याचना की गयी। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के प्रकाश में थाने से आख्या आहूत की गयी।

8. आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के प्रकाश में थाना वैदपुरा जिला इटावा से आख्या प्राप्त हुयी। थाने की आख्या के अनुसार बेलारानी का मेडिकल दिनांक 13.01.26 को डा०भीमराव अम्बेडकर संयुक्त चिकित्सालय इटावा में हुआ है। आख्या के साथ मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रतियां भी प्रेषित की गयी है।

9. आवेदिका द्वारा प्रार्थनापत्र में दिनांक 13.01.2026 की घटना का उल्लेख करते हुये कथन किया गया है कि वह उक्त दिनांक को समय करीब शाम 08:00 बजे अपनी ईको गाड़ी से सैफई से इटावा जा रही थी तभी अधियापुरा ग्राम के पास दो गाडियां आयी और उसकी गाड़ी के आगे लगाकर उसकी गाड़ी को रोक लिया और विपक्षीगण सोहेल,पूजा उर्फ जयहिन्द,मोहित दिवाकर तथा नन्दनी उर्फ गोलू ने मिलकर उसके ड्राइवर अमर,उसके चेले मुस्कान को पकड़ कर खींच लिया और एक तरफ खड़ा कर दिया और उसे मां बहिन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे जब उसने गालियां देने से मना किया तो सभी ने मिलकर उसकी लात,घूसों व थप्पड़ों से मारपीट की तथा विपक्षी मोहित दिवाकर ने जान से मारने की नियत से अपने हाथ में लिये हुये ब्लेड से हमला कर दिया जिससे वह लहुलुहान हो गयी,इसी दौरान विपक्षी नन्दनी उर्फ गोलू ने चाकू दिखाकर उसके हाथ से उसका पर्स छीन लिया जिसमें उसके 15,000/–रूपये व एक सोने की चैन,सोने के एक जोड़ी कान के झुमके व चांदी की पायल रखी थी। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि थाना पुलिस वैदपुरा द्वारा ही आवेदिका का मेडिकल जिला अस्पताल इटावा में कराया गया है। इस सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया है,जिस पर थाने से आख्या आहूत की गयी,तब पुनःथाने की आख्या के साथ मेडिकल प्रपत्रों की छायाप्रतियां न्यायालय प्रेषित की गयी है।

10. यह दर्शित है कि प्रकरण में घटना दिनांक 13.01.2026 की समय करीब 08:00 बजे की बतायी गयी है। कथित मारपीट की घटना में आवेदका द्वारा स्वंय के चोटें आने का कथन किया गया है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि आवेदिका बेलारानी का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 13.01.2026 को समय 9:00 पी०एम०पर

डा०भीमराव अम्बेडकर संयुक्त चिकित्सालय (पुरूष)इटावा में हुआ है। चिकित्सीय आख्या में आवेदिका के कुल छः चोटे आना दर्शित किया गया है, जिसमें चोट संख्या–1 2 व 3 कटा हुआ घाव ,चोट संख्या–4 व 6 खरोंच एवं चोट संख्या–5 नीलगू निशान के रूप में उल्लिखित किये गये है।

11. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रकरण में प्रथमदृष्टया संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है। सही तथ्यों की जांच हेतु प्रकरण में विवेचना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी०एन एस०एस०स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका बेला रानी उर्फ समीर (किन्नर)की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी०एन० एस० एस०स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत स्वंय या अपने अधीनस्थ से विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें तथा विहित समयावधि में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति भी न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।

J.O.Code No–1546